रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 324] नई दिल्ली, बुधवार, मई 20, 2015/वैशाख 30,1937

No. 324] NEW DELHI, WEDNESDAY, MAY 20, 2015/VAISAKHA 30, 1937

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 मई, 2015

सा.का.नि 408(अ).—केन्द्रीय सरकार, सीमा सुरक्षा बल अधिनियम, 1968 (1968 का 47) की धारा 141 की उपधारा (2) के खंड (ख) और खंड (ग) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सीमा सुरक्षा बल समूह "क" (साधारण ड्यूटी अधिकारी) भर्ती नियम, 2010 को, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है सीमा सुरक्षा बल में समूह 'क' पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम सीमा सुरक्षा बल समूह 'क' (साधारण ड्यूटी अधिकारी) भर्ती नियम, 2015 है ।

(2) यह राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. **परिभाषा.-** इन नियमों में जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो.-

(क) ''सरकार'' से भारत सरकार अभिप्रेत है ;

(ख) ''ग्रेड'' से काडर का ग्रेड अभिप्रेत है ;

(ग) ''अनुसूची'' से इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची अभिप्रेत है।

(घ) ''अनुसूचित जातियों'' और ''अनुसूचित जनजातियों'' का वही अर्थ है जो संविधान के अनुच्छेद 366 के खंड (24) और (25) में क्रमशः उन्हें समनुदेशित किया गया है।

(घ) उन शब्दों और पदों के, जो इसमें प्रयुक्त हैं किन्तु परिभाषित नहीं किए गए हैं, के वही अर्थ होंगे जो सीमा सुरक्षा बल अधिनियम, 1968 और सीमा सुरक्षा बल नियम 1969 में उस अधिनियम और नियम है ।

3. यह नियम अनुसूची के स्तंभ (1) में उल्लिखित पदों पर लागू होंगे ।

4. **पद संख्या, वर्गीकरण और वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान** : उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनके वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान वे होंगे, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं ।

5. **भर्ती की पद्धति, आयु–सीमा, अर्हताएं आदि** : उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु–सीमा, अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं ।

6. **अनुरक्षण** : न भरा गया शेष प्रत्येक पद और प्रत्येक रिक्ति को, जो इसके पश्चात् उदभूत हुई हो इस अनुसूची में यथा अंतर्विष्ट उपबंधों के अनुसार भरी जाएगी ।

7. **ज्येष्ठता.-** (1) ऐसे सभी आफिसर जो उच्चतर रैंक धारण किए हुए हैं निम्नतर रैंक धारण करने वाले आफिसरों से ज्येष्ठ होंगे ।

(2) किसी विशिष्ट रैंक में किसी पद पर नियुक्त आफिसरों की ज्येष्ठता उस पद पर नियुक्ति के लिए चयन के आदेशानुसार अवधारित किया जाएगा ।

(3) उपनियम (2) के उपबंधों के अधीन रहते हुए, समान रैंक धारण करने वाले आफिसरों में से परस्पर ज्येष्ठता निम्नानुसार होगी :–

(क) एक ही दिन में प्रोन्नत किए गए आफिसरों की ज्येष्ठता उसी क्रम में अवधारित होगी जिसमें उन्हें उक्त रैंक में प्रोन्नति के लिए चयन किया गया है ;

(ख) सीधे प्रविष्टि अधिकारियों की परस्पर ज्येष्ठता सम्मिलित योग्यता सूची के क्रम में क्रमबद्व की जाएगी जो संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित परीक्षा और सीमा सुरक्षा बल संस्थान द्वारा आयोजित बुनियादी व्यावसायिक पाठयक्रम में उनके द्वारा अभिप्राप्त अंकों को एक साथ जोड़ने के पश्चात 50 : 50 के अनुपात में अवधारित की जाएगी:

परंतु सीधी भर्तियों अधिकारियों के मामलों में, नियुक्त प्रस्ताव में उल्लेखित स्थान पर कार्यग्रहण की तारीख नियुक्ति की तारीख होगी:

परंतु यह और कि यदि दो या दो से अधिक आफिसरों ने सम्मिलित अर्हक सूची में समान अंक प्राप्त किए हैं तो उनकी निर्हताओं क्रम उनके जन्म की तारीख के अनुसार होगा:

परंतु चयन के पश्चात्, प्रशिक्षण के लिए विलंब से रिपोर्ट करने के मामले में ज्येष्ठता इस प्रकार होगी :–

(अ) मंत्रालय या विभाग द्वारा जारी किया गया नियुक्ति प्रस्थापना, नियुक्ति की प्रस्थापना में उल्लेखित कार्यग्रहण करने की तारीख से चार सप्ताह के लिए विधि मान्य होगा और उसके पश्चात् नियुक्ति पत्र स्वतः व्यपगत हो जाएगा ;

(आ) यदि, चार सप्ताह की विर्निदिष्ट अवधि के भीतर अभ्यर्थी से समय विस्तार का अनुरोध प्राप्त हो जाता है और मंत्रालय द्वारा सम्यक विचार करने के बाद यदि तथ्य एवम् परिस्थितियों ऐसा करना आवश्यक मानती हैं तो उसे चार सप्ताह के अतिरिक्त अधिकतम दो सप्ताह का समय विस्तार प्रदान किया जा सकता है। जो अभ्यर्थी छः सप्ताह की अवधि में कार्यभार ग्रहण करता है उसकी ज्येष्ठता धारा (ख) की उपधारा (i) के अनुसार अवधारित की जाएगी ;

(इ) यदि तथापि धारा (ख) में वर्णित है, दो सप्ताह के विस्तार प्रदान किए जाने के पश्चात् यदि कोई उम्मीदवार नियम समय (जो छः सप्ताह से अधिक नही होगा) के भीतर रिपोर्ट नहीं करता तो यह नियुक्ति प्रस्थापना स्वतः व्यपगत हो जाएगी ;

(ई) ऐसा नियुक्ति आदेश जो व्यपगत हो गया है, साधारणतया असाधारण परिस्थितियों और लोकहित के आधारों जिन्हें लेखबद्ध किया जाएगा, को छोड़कर पुनर्जीवित नहीं किया जाएगा। ऐसी प्रस्थापना मंत्रालय का अनुमोदन प्राप्त करने के बाद ही पुनर्जीवित किया जा सकता है ;

(उ) जहां पर अनुच्छेद (ई) के अंतर्गत चयन के प्रस्ताव को पुनः प्रचलित किया जाता है, संबंधित अभ्यर्थियों की वरीयता का निर्धारण अगली चयन परीक्षा के अभ्यर्थियों से उपर किया जायेगा, किन्तु, ऐसे मामलों में, जहां कोई अभ्यर्थी अगली चयन परीक्षा में चयनित अभ्यर्थी के बाद में सेवाभार ग्रहण करता है, उसे उस अभ्यर्थी के बाद में वरीयता प्रदान की जायेगी ;

(ऊ) भारतीय पुलिस सेवा, सेना और सीमा सुरक्षा बल के अधिकारियों की परस्पर ज्येष्ठता उस रैंक में निरंतर सेवा की तारीख के अनुसार अवधारित की जाएगी ;

परंतु जहां ज्येष्ठता का पहले ही अवधारण करके इसे नियत किया जा चुका है, वह प्रभावित नहीं होगी:

(ग) सहायक कमाण्डेंट (सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा) की परस्पर ज्येष्ठता सम्मिलित योग्यता सूची के क्रम में व्यवस्थित की जाएगी जिसका अवधारण उनके द्वारा सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा और सीमा सुरक्षा बल प्रशिक्षण संस्थान में बुनियादी व्यवसायिक पाठ्यक्रम में प्राप्त अंकों को 50 : 50 के अनुपात में जोड़कर अभिप्राप्त किया जाएगा: